<u>प्रेस नोट दिनांक 26.03.2026 जनपद प्रतापगढ़</u>

<u>थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़</u>

अवैध संबंध, सुनियोजित साजिश के चलते हत्या के अभियोग से संबंधित 25000/- रूपये इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अवैध संबंध के चलते हुई हत्या के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अभियोग से संबंधित इनामिया अभियुक्त अरूण उर्फ रंजीत कुमार को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत मान्धाता मोड के पास से विधिवत गिरफ्तार किया गया।

<u>प्रतापगढ़।</u>

थाना मान्धाता पर आवेदक निवासी ग्राम मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना मान्धाता पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता दिनांक 18.03.2026 को मोटरसाइकिल से प्रयागराज जाने हेतु घर से निकले थे, परन्तु वापस नहीं लौटे। इस संबंध में दिनांक 20.03.2026 को थाना स्थानीय गुमशुदगी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात खोजबीन एवं प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि आरोपिता सुमन देवी द्वारा अतुल कुमार व अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर वादी के पिता को अपने मायके ग्राम बगियापुर थाना जेठवारा बुलाकर एकराय होकर हत्या कर दी गई तथा शव को बोरे में भरकर सहायक शारदा नहर में फेंक दिया गया। दिनांक 22.03.2026 को उक्त शव बरामद होने पर परिजनों द्वारा शिनाख्त की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस बनाम 1. सुमन देवी पत्नी अनिल कुमार निवासी मिसिरपुर मुस्तर्का थाना मान्धाता, 2. अतुल गौतम पुत्र राजाराम गौतम, 3. अरुण गौतम पुत्र रामआसरे निवासीगण ग्राम बगियापुर लेहरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी** के कुशल पर्वेक्षण में **थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, का0 आनन्द यादव, का0 अंकित कुमार मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी** द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 103(1)/3(5)/238(क) बीएनएस से संबंधित 25000/- रूपये इनामिया 01 अभियुक्त अरूण उर्फ रंजीत कुमार पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत मान्धाता मोड के पास से गिरफ्तार किया गया ।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मै दिनांक 18.03.2026 को अपने घर लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा प्रतापगढ में मौजूद था कि मेरा दोस्त अतुल कुमार मेरे घर आया और मृतक द्वारा उसके बहन सुमन के साथ किये कृत्यों के

सम्बन्ध मे बताया और साथ देने को कहा। तो मै अतुल के साथ उसके घर गया तो देखा कि मृतक सो रहा था अतुल की बहन सुमन घर मे पड़ी लोहे की पाईप से मृतक के सिर पर मारी तो वह चिल्लाया लेकिन तुरन्त ही उसके गले पर वार किया तो वह चुप हो गया। फिर उसी पाईप से गले पर मार मार कर मार डाला। फिर मै अपने दोस्त अतुल और उसकी बहन सुमन के साथ मिलकर मृतक के शव को रस्सी से बाध कर पीली बोरी मे भरकर व उसके जूते को उसकी गाडी के डिग्गी मे रख कर मृतक की ही गाडी पर लादकर ले जाने लगे परन्तु मृतक के गाडी मे हेड लाईट नही जल रही थी। जिसके बाबाद अतुल अपने घर की स्पलेण्डर बाईक पर अपनी बहन सुमन के साथ बोरी मे भरे शव को लाद कर छुपाने के लिए खुद गाडी चलाते हुए ले गया था। अतुल के वापस आने पर मै अतुल की बाईक और अतुल मृतक की बाईक लेकर छिपाने के लिए हरखपुर थाना क्षेत्र मऊआईमा प्रयागराज मे छोड़ने गये थे। जिससे किसी को हम पर शक न हो सके। उसी दिन से मै इधर उधर लुक छिप कर रह रहा था। आज मै विश्वनाथगंज लुकते छिपते हुए रात में आया था कि कोई जान नही पायेगा। और मै प्रयागराज जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहा था। कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अरूण उर्फ रंजीत कुमार पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम लेहरा बगियापुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 प्रभात वर्मा, का0 आनन्द यादव, का0 अंकित कुमार मय चालक हे0का0 रतन लाल त्रिपाठी थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़ पुलिस की कार्यवाही: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त संजीत कुमार प्रजापति के कब्जे से 01 अदद नाजायज 12 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा** के कुशल पर्वेक्षण में **थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 मनोज कुमार जायसवाल मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय,का0 विजय चौहान मय चालक का0 रामनिवास व चीता से का0 मन्नू सिंह व का0 बालकिशुन** द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत अर्रो नहर पुलिया के पास से 01 अदद नाजायज 12 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त, संजीत कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 हरीलाल प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अर्रो थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ को गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना संग्रामगढ़ पर मु0अ0सं0 58/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोटर साइकिल बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संजीत कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 हरीलाल प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम अर्रो थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-

01 अदद नाजायज 12 बोर तमंचा, 01 अदद जिन्दा नाजायज कारतूस 12 बोर व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मनोज कुमार जायसवाल मय हमराह उ0नि0 सूबेदार राय,का0 विजय चौहान मय चालक का0 रामनिवास व चीता से का0 मन्नू सिंह व का0 बालकिशुन थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना उदयपुर के उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह उ0नि0 संजय यादव द्वारा मु0अ0सं0 135/23, एसपीएलटी नबंर 2002/23 धारा 354क/504/506 भादवि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र कमलेश चौरसिया उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पूरे बसन्दर मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को बसन्दर का पुरवा मंगापुर रांकी मोड़ पर स्थित पान की गुमटी से से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धर्मेन्द्र पुत्र कमलेश चौरसिया उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम पूरे बसन्दर मजरे मंगापुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह मय हमराह उ0नि0 संजय यादव थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।